प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2023................
प्र0सू0रि0 सं. ....79/2023.............. दिनांक 7/4/2023

2.(i) अधिनियम.....भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारायें .... 7 .
(ii) अधिनियम...धारायें.......................................
(iii) अधिनियम... धारायें.......................................
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या............................132 समय ....5:45P.M.
(ख) अपराध घटने का दिन गुरूवार दिनांक :– 06.04.2023 समय ....01.01 पीएम............
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– तहसील मुण्डावर जिला अलवर। ....
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– चौकी से पूर्व दिशा में करीब 250 किलोमीटर ......
(ब) पता :– कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मुण्डावर जिला अलवर
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्रीमती सुमन्त देवी
(ब) पिता/पति का नाम :– पत्नी श्री राजेश कुमार
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 50 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– .... भारतीय ....
(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय :– ....आंगनवाडी कार्यकर्ता...
(ल) पता :– निवासी गांव तिनकीरूडी, पुलिस थाना मुण्डावर जिला अलवर ....

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्रीमती कृष्णा शर्मा पत्नी श्री हरिओम शर्मा, उम्र–56 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी लादिया मौहल्ला विसारती पाड़ा, तहसील व जिला अलवर हाल आबाद बीएस नगर, कटीघाटी, पुलिस थाना अरावली विहार जिला अलवर हाल महिला पर्यवेक्षक, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मुण्डावर जिला अलवर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.......................................
.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 10,000 रूपये..........................

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

<u>06.04.2023</u>
9.30 एएम इस समय मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द मय ब्यूरो स्टाफ श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री कैलाशचन्द कानि., श्री रामनिवास कानि., श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि., श्रीमती मंजू महिला कानि. एवं कानि. चालक श्री सुरेशचन्द के जरिये सरकारी वाहन मय लेपटॉप, ट्रेप बाक्स आदि के फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाकर उपस्थित एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय में श्री परमेश्वरलाल उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, अलवर–द्वितीय के समक्ष उपस्थित हुआ। उप अधीक्षक पुलिस ने मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द को परिवादिया द्वारा प्रस्तुत एक लिखीत प्रार्थना पत्र इस आशय का " सेवामें, श्रीमान् उप अधीक्षक महोदयजी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी अलवर विषय रिश्वत लेते रंगे

हाथ पकडवाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मै सुमन्त देवी पत्नी श्री राजेश कुमार आंगनवाडी केन्द्र तिनकीरूडी–प्रथम का संचानल करती हूँ। श्रीमान् जी आंगनवाडी के केन्द्रो पर महिलाओं व बच्चों के लिये एसएचजी द्वारा केन्द्रो पर पोषाहार सप्लाई करके वितरण किया जाता है, जोकि कार्यकर्ता द्वारा बनाये गये एसएचजी से होता है, यह विभागीय आदेश है। श्रीमान् जी सितम्बर 2019 से मार्च 2020 तक का हमारे समूह का भुगतान 30.03.2023 को 68000 का हुआ है, यह बिल कार्यकर्ता एवं एसएचजी द्वारा महिला पर्यवेक्षक को दिया जाता है, अब जब बिल पास हो गये है तो कृष्णा शर्मा एलएस द्वारा 15 प्रतिशत प्रत्येक केन्द्र से मांगा जा रहा है, यह पोषाहार पहले स्वयं के भुगतान से किया जाता है, फिर भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है, अगर 15 प्रतिशत नहीं देते है तो आगामी बिल भी पास नहीं करने की कहते है, कहीं से भी करो मुझे पैसे चाहिये, इसमें आईसीडीएस मण्डावर के कर्मचारी सुशिला जी एलएस, कृष्णाजी एलएस, रामा देवी एलएस, निर्मला देवी एलएस, बीसी सतीश कुमार सीडीपीओ एवं डीडी तक शामिल है इसी तरह मण्डावर की सभी कार्यकर्ता परेशान है सभी को मानसिक यातनायें दे रहे है, जबकि सरकार द्वारा 8500 रूपये हमें मानदेय के रूप में मिलते है हम इनको पैसे कहॉ से दे, श्रीमान्जी से निवेदन है कि हमें इन लोगों के चुंगल से बचाने का कष्ट करें तथा रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाने की कृपा करें क्योंकि मेरे से 9000 रूपये तथा अन्य सहयोगीयों से भी पैसे ईकट्ठा करवाने की मुझसे ही कह रही है। इन सबसे हमारी कोई रंजीश नहीं है ना ही कोई लेनदेन है, कृपया कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें। सुमन्त देवी तिनकीरूडी वीपीओ श्योपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर मोबाईल नम्बर 9636468519

उप अधीक्षक पुलिस ने मन् पुलिस निरीक्षक को मामलें से संबंधित रनिंग नोट, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 04.04.2023 एवं 05.04.2023 का मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया तथा परिवादिया श्रीमती सुमन्त देवी से एवं स्वतंत्र गवाहान श्री गजानन्द शर्मा तकनीकी पर्यवेक्षक एवं श्री आस मौहम्मद खान तकनीकी सहायक–प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता ए–5, जे.वि.वि.नि.लि. अलवर से मिलवाकर श्रीमती कृष्णा शर्मा महिला पर्यवेक्षक, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मुण्डावर जिला अलवर के विरूद्व अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुपुर्द रिश्वत मांग सत्यापन के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत मांग की पुष्टि होती है। परिवादिया श्रीमती सुमन्त देवी का उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।

तत्पश्चात समय 10.40 एएम पर परिवादिया श्रीमती सुमन्त देवी ने हिदायत देने पर आरोपिया श्रीमती कृष्णा शर्मा महिला पर्यवेक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग, मुण्डावर जिला अलवर को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

क्रम सं.	नोटो का विवरण	नोटो के नम्बर
1.	एक नोट पॉंच सौ रूपये का नम्बरी	3SD695622
2.	एक नोट पॉंच सौ रूपये का नम्बरी	8EH281730
3.	एक नोट पॉंच सौ रूपये का नम्बरी	6TA009841
4.	एक नोट पॉंच सौ रूपये का नम्बरी	7GA664364
5.	एक नोट पॉंच सौ रूपये का नम्बरी	5PL434653
6.	एक नोट पॉंच सौ रूपये का नम्बरी	3QG948392
7.	एक नोट पॉंच सौ रूपये का नम्बरी	2VU918692
8.	एक नोट पॉंच सौ रूपये का नम्बरी	7NL127098
9.	एक नोट पॉंच सौ रूपये का नम्बरी	2BT597398
10.	एक नोट पॉंच सौ रूपये का नम्बरी	0LC564823
11.	एक नोट पॉंच सौ रूपये का नम्बरी	6KA467162
12.	एक नोट पॉंच सौ रूपये का नम्बरी	6NR893006
13.	एक नोट पॉंच सौ रूपये का नम्बरी	8VL611291
14.	एक नोट पॉंच सौ रूपये का नम्बरी	3GQ144315

15.	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	7RT188724
16.	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	4NK216839
17.	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	5EF068079
18.	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	8DS284392
19.	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	6DD187369
20.	एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी	3AN184696

फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी वाहन के डेस्क बोर्ड से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री सुरेशचन्द कानि. चालक नं. 60 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री गजानन्द शर्मा से परिवादिया श्रीमती सुमन्त देवी के हैण्डबैग की तलाशी लिवाई जाकर हैण्डबैग में उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 10,000 रूपयों के नोट श्री सुरेशचन्द कानि. चालक नं. 60 से परिवादिया श्रीमती सुमन्त देवी के हैण्डबैग में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादिया श्रीमती सुमन्त देवी को तय ईशारे बाबत मुनासिब हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादिया श्रीमती सुमन्त देवी व गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री सुरेशचन्द कानि. चालक नं. 60 से वाहन के डेस्कबोर्ड में रखवाई गई। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री सुरेशचन्द कानि. चालक नं. 60 के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादिया श्रीमती सुमन्त देवी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतु काम में लिये जाने वाले कांच के गिलासों व कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुयें ट्रेप बोक्स तैयार करवाया गया। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादिया श्रीमती सुमन्त देवी को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। चालक श्री सुरेशचन्द को वाहन में ही मुकिम रहने की मुनासिब हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई।

कार्यालय में की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर समय 11.35 एएम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादिया श्रीमती सुमन्त, स्वतंत्र गवाहान श्री गजानन्द शर्मा तकनीकी पर्यवेक्षक एवं श्री आस मौहम्मद खान तकनीकी सहायक–प्रथम, ब्यूरो कार्यालय सीकर स्टाफ के श्री रोहिताश्वसिंह एएसआई, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्री श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्रीमती मंजू महिला कानि. नं. 483, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 के ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को मेमोरी कार्ड साथ लेकर जरिये सरकारी वाहन अलवर से रवाना होकर समय 12.30 पीएम पर कस्बा मुण्डावर जिला अलवर में कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मुण्डावर जिला अलवर के पास पहूँचा, जहॉं परिवादिया सुमन्द देवी को महिला बाल विकास विभाग की तरफ रवाना किया जाकर परिवादिया के पीछे–पीछे रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, श्री रामनिवास कानि. के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय परिसर में आस–पास अपनी उपस्थित छूपाते हुये परिवादिया के तय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुये। शेष ट्रेप पार्टी सदस्य वाहन में मुकिम हुये।

समय 01.00 पीएम पर कस्बा मुण्डावर जिला अलवर में कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मुण्डावर जिला अलवर के सामने परिसर में मुकिम मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, श्री रामनिवास कानि. को परिवादिया का अपने सिर पर हाथ फेरने का तय ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने हमराहीयान पार्टी सदस्यों को ईशारे से साथ लेते हुये कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मुण्डावर जिला अलवर के बरामदे में पहूँचा जहॉं पूर्व दिशा की तरफ खुलते हुये कमरे में सामने परिवादिया सुमन्त खड़ी मिली। परिवादिया ने डिजिटल टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे सुरक्षित रखा गया।

परिवादिया ने कमरे में कुर्सी पर बैठी एक महिला की तरफ ईशारा कर बताया कि ''यही कृष्णा पर्यवेक्षक है, जिन्होने अभी–अभी मेरे से रिश्वती राशि के रूपये अपने बांय हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई ब्रा के अन्दर रखे है'' इतने में उक्त महिला ने रूपयों को अपनी पहनी हुई ब्रा से निकालकर अपने बांई तरफ फर्स पर गिरा दिये। रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्रीमती मंजू महिला कानि. ने उक्त महिला के दोनों हाथों को कलाईयों के उपर से पकड लिये। मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादिया से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम कृष्णा शर्मा महिला पर्यपेक्षक कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मुण्डावर जिला अलवर होना बताते हुये कहा कि '' पैसो की इन्होने खुद ने बात कर रखी थी, मैने तो सीडीपीओ महाराम दोरोता को देने के लिये है'' मौके पर परिवादिया ने उक्त महिला कृष्णा शर्मा के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि ''ये झूँठ बोल रही है, मैने मेरी मर्जी से इनको रूपये नहीं दिये है, दिनांक 04.04.2023 को मैने इनसे बात की तो इन्होने मेरे बिलों को पास करवाने के लिये अधिकारियों को पन्द्रह परसेन्ट कमीशन देने की कहते हुये स्वयं के लिये 1000 रूपये देने की कही, तब मैने इनको 4000 रूपये दे दिये, इसके बाद दिनांक 05.04.2023 को वार्ता की तब इन्होने मेरे तथा सजना द्वारा सप्लाई किये गये पोषाहार के बिलों का भुगतान दिलाने के लिये 15,000 रूपये मांगे थे, आज इनको मेरे व सजना के बकाया बिलों के भुगतान दिलाने के लिये 10,000 रूपये दिये है''

तत्पश्चात समय 1.09 पीएम पर श्रीमती कृष्णा शर्मा के मोबाईल फोन नम्बर 9413455242 से श्री महाराम दोरोता सीडीपीओ के मोबाईल 9887901624 पर कॉल लगवाकर पैसे के संबंध में वार्ता करवाई गई तो महाराम दोरोता सीडीपीओ ने पहले तो कहा कि गाड़ी में हूँ, बाद में बात करता हूँ, फिर दूबारा फोन पर करने पर पैसे के लिये मना कर दिया। उक्त वार्ता को आरोपिया श्रीमती कृष्णा शर्मा के मोबाईल फोन का स्वीकर ऑन कर डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड गया गया। श्रीमती कृष्णा शर्मा महिला पर्यवेक्षक द्वारा फर्स पर गिराये गये रूपयों को गवाह श्री गजानन्द शर्मा से उठवाये गये तो कुल दस हजार रूपये पाये गये, जिनको सुरक्षित अपने पास रखने की गवाह श्री गजानन्द को मुनासिब हिदायत दी गई।

तत्पश्चात दो कॉच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपिया श्रीमती कृष्णा शर्मा महिला पर्यवेक्षक के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपिया श्रीमती कृष्णा शर्मा महिला पर्यवेक्षक के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त दोनों हाथों के धोवन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर–1 एंव आर–2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल–1, एल–2 से सील्ड किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार गवाह श्री गजानन्द शर्मा के पास रखी रिश्वती राशि के नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर बरामद शुदा कुल 10,000 हजार रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया।

तत्पश्चात श्री कैलाशचन्द कानि. के दोनों हाथों एवं एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला उस रंगहीन घोल में आरोपिया श्रीमती कृष्णा शर्मा महिला पर्यवेक्षक द्वारा अपनी बांई तरफ फर्स पर गिराये गये रूपयों के बरामदगी स्थल का रूई के फौवे से धोवन लिया गया जो तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा–आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क एफ–1 एंव एफ–2 अंकित किया गया। रूई के फौवे को एक कागज के लिफाफे में सीलचीट कर मार्क ''ए'' अंकित कर जप्त किया गया।

तत्पश्चात श्रीमती मंजू महिला कानि. के मार्फत आरोपिया श्रीमती कृष्णा पर्यवेक्षक को कमरे में बने टायलेट में ले जाकर श्रीमती मंजू महिला कानि. को आरोपिया की

पहनी हुई ब्रा पेश करने की हिदायत देने पर श्रीमती मंजू महिला कानि. ने ब्रा पेश की। तत्पश्चात श्रीमती मंजू महिला कानि. के दोनों हाथों एवं एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला उस रंगहीन घोल में आरोपिया श्रीमती कृष्णा शर्मा महिला पर्यवेक्षक की पहनी हुई ब्रा के राईट साईड को गिलास में डूबोकर धोवन लिया गया जो तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा–आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क बी–1 एंव बी–2 अंकित किया गया।

आरोपिया श्रीमती कृष्णा शर्मा महिला पर्यवेक्षक को परिवादिया श्रीमती सुमन्त देवी के बकाया भुगतान से संबंधित बिलों के बारे में पूछा तो बताया कि" इनके बिल हमारे कार्यालय स्तर से ही पारित किये जाते है, कार्यालय में बाबू नहीं होने के कारण इनके बिल श्री महाराम दोरोता सीडीपीओ लक्ष्मणगढ के पास ही भंगतान हेतु लम्बित है" श्री महाराम दोरोता सीडीपीओ लक्ष्मणगढ से उसके मोबाईल फोन पर वार्ता करनी चाही तो उसने अपना फोन स्वीच ऑफ कर लिया। परिवादिया सुमन्त के भुगतान से संबंधित बिलों का विवरण पृथक से प्राप्त किया जावेगा। दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सीलड शीशीयां मार्क आर–1,आर–2, एल–1, एल–2, एफ–1, एफ–2, बी–1 एवं बी–2, सीलड रिश्वती राशि का कागज एंव सील्ड कागज का लिफाफा मोर्क "ए" पर मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। उक्त कार्यवाही फर्द बरामदगी पृथक से तैयार की गई।

तत्पश्चात समय 3.00 पीएम पर श्रीमती कृष्णा शर्मा महिला पर्यवेक्षक, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मुण्डावर जिला अलवर को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपिया श्रीमती कृष्णा शर्मा महिला पर्यवेक्षक के आवास मकान की खाना तलाशी ट्रेप कार्यवाही सार्वजनिक होने के कारण नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया। समय 3.20 पीएम पर परिवादिया श्रीमती सुमन्त देवी महिला आंगनवाडी कार्यकर्ता आंगनवाडी केन्द्र तिनकीरूड़ी–प्रथम, मुण्डावर जिला अलवर से संबंधित बिल आदि जरिये फर्द जप्ती जप्त किया गया। समय 3.40 पीएम पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार तैयार किया गया। आरोपिया श्रीमती कृष्णा के कमरे की सरसरी तौर पर तलाशी ली गई तो कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला।

तत्पश्चात समय 4.00 पीएम पर दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 04.04.2023 को परिवादिया सुमन्त देवी एवं आरोपिया श्रीमती कृष्णा महिला पर्यवेक्षक की आमने सामने हुई वार्ता एवं रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 05.04.2023 को समय 9.52 एएम पर परिवादिया सुमन्त देवी के मोबाईल नम्बर 9461447836 से आरोपिया श्रीमती कृष्णा शर्मा के मोबाईल फोन नम्बर 9413455242 व्हाट्सअप कॉल हुई वार्ता एवं दिनांक 05.04.2023 को समय 9.58 एएम पर परिवादिया सुमन्त देवी के मोबाईल नम्बर 9461447836 से आरोपिया श्रीमती कृष्णा शर्मा के मोबाईल फोन नम्बर 9413455242 पर व्हाट्सअप कॉल पर हुई वार्ता को परिवादिया एवं उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर से उपरोक्त तीनों वार्ताओं का फर्द रूपान्तरण किया जाकर दो सीडी तैयार कर आईओ एवं अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "सी" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। रिकार्ड वार्ता में परिवादिया सुमन्त ने स्वंय की व आरोपिया श्रीमती कृष्णा शर्मा महिला पर्यवेक्षक, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मुण्डावर जिला अलवर की आवाजों की पहचान की।

तत्पश्चात समय 6.00 पीएम पर दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 06.04.2023 को समय 1.09 पीएम पर श्रीमती कृष्णा शर्मा के मोबाईल फोन नम्बर 9413455242 से श्री महाराम दोरोता सीडीपीओ के मोबाईल 9887901624 पर कॉल लगवाकर पैसे के संबंध में वार्ता करवाई जाकर वार्ता एवं दौराने रिश्वत लेनदेन परिवादिया सुमन्त से आरोपिया श्रीमती कृष्णा शर्मा महिला पर्यवेक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग, मुण्डावर जिला अलवर की आमने–सामने हुई वार्ता को परिवादिया द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड

गया गया, जिसको परिवादिया एवं उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर से उपरोक्त वार्ताओं का फर्द रूपान्तरण किया जाकर दो सीडी तैयार कर आईओ एवं अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "डी" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। रिकार्ड वार्ता में परिवादिया सुमन्त ने स्वंय की व आरोपिया श्रीमती कृष्णा शर्मा महिला पर्यवेक्षक, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मुण्डावर जिला अलवर की आवाजों की पहचान की।

मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी परिवादिया, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ के सदस्यों एवं गिरफ्तार शुदा आरोपिया श्रीमती कृष्णा एवं प्रकरण से संबंधित माल वजह सबूत साथ लेकर एसीबी चौकी अलवर पहूॅचा। प्रकरण से संबंधित समस्त माल वजह को सुरक्षित रखवाया गया। की गई कार्यवाही से आरोपिया श्रीमती कृष्णा शर्मा महिला पर्यवेक्षक, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मुण्डावर जिला अलवर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादिया श्रीमती सुमन्त देवी महिला आंगनवाडी कार्यकर्ता आंगनवाडी केन्द्र तिनकीरूडी–प्रथम, मुण्डावर जिला अलवर से उसके द्वारा वर्ष 2019 से मार्च 2020 तक सप्लाई किये गये पोषाहार के बिलों के भुगतान में से 15 प्रतिशत राशि इक्ट्ठा करने का दबाब बनाकर रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 04 एवं 05.04.2023 को परिवादिया से 15000 रूपये बतौर रिश्वत की मांग करते हुये सत्यापन के दौरान दिनांक 04.04.2023 को परिवादिया से 4000 रूपये प्राप्त करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 06.04.2023 को परिवादिया सुमन्त देवी से 10,000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करने पृथम दृष्टया पाया जाता है। उक्त आरोपिया श्रीमती कृष्णा शर्मा महिला पर्यवेक्षक का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपिया श्रीमती कृष्णा शर्मा महिला पर्यवेक्षक के विरूद्व उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

[redacted]

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती कृष्णा शर्मा, महिला पर्यवेक्षक, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग मुण्डावर, जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 79/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(सवाई सिंह गोदारा)
महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 632-35 दिनांक 7.4.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाऐं, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

07/04/23
महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।